

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 438 / 2007 / जयपुर.

मैसर्स जगदम्बा डाईंग एण्ड टेंट मैन्यूफैक्चर्स,
कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-ई, डी-ब्लॉक, भूतल, वित्त विभाग, जयपुर.
हाल - सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत्त-के, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. एस. जाजू, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01 / 11 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 43/21/आरएसटी/अपील्स-चतुर्थ/2004-05/जेपीई में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.09.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-चतुर्थ, वृत्त-ई, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29 व 65 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।


3. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वित्तीय वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2004 को पारित करते समय व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र में दर्शाये गये व्यापार खाते के अनुसार कर निर्धारण किया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में यह उल्लेख किया है कि व्यवहारी ने करमुक्त एवं कर योग्य माल के विक्रय करते समय करमुक्त माल की बिक्री को अधिक बता दिया एवं कर योग्य माल की बिक्रियों को कम बताया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस तरह की एक



लगातार.....2

कल्पना की है कि व्यवहारी ने जो माल खराब होकर कम भाव से विक्रय किया है वह गलत है एवं यह बताया कि कर योग्य माल में जो नुकसान बताया गया है वह भी गलत है एवं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु जो नोटिस जारी किया गया था उसका जवाब अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देते हुए बता दिया गया था कि उनके व्यापार में कर चुका माल जो कि वर्ष 1997 से स्टॉक में अग्रेषित हो रहा था वह माल 3-4 वर्ष तक खुले आकाश में रहने से खराब हो रहा है। इसके अलावा चूना पकाते समय यदि ज्यादा heat लग जाती है तो भी माल खराब हो जाता है। इसी तरह माल पड़े रहने पर वह पाउडर बन जाने पर भी बिक्री योग्य नहीं रहता है। इन कारणों से ऐसे व्यापार में माल कई बार कम कीमत पर बिकता रहता है एवं लम्बे समय के स्टॉक में नुकसान होता रहता है एवं यह भी जवाब दिया गया था कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर माल का निरीक्षण एवं अवलोकन करने हेतु भी आमंत्रित किया था परन्तु उन्होंने ऐसे प्रार्थना-पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह अपीलार्थी व्यवहारी ने वर्ष 1997-98 से लगाकर वर्ष 2002 तक सम्पूर्ण ट्रेडिंग अकाउंट प्रस्तुत करते हुए वर्षवार प्रारम्भिक क्लॉजिंग स्टॉक एवं बिक्री की स्थिति बता दी थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई जांच किये एवं बिना कोई विचार किये कि किस तरह उनके द्वारा कोई विक्रय को छिपाया गया हो या बिना किसी बिल के माल को बेचा गया हो, अपीलार्थी व्यवहारी पर रुपये 63,861/- के विक्रय को करमुक्त के स्थान पर कर योग्य बताना मानकर करारोपण कर दिया।

4. मेरे द्वारा पूर्ण पत्रावली की जांच की गई। जांच पर यह स्पष्ट होता है कि व्यवसायी द्वारा किसी भी तरह की करचोरी न करके, प्रत्येक वर्ष के ट्रेडिंग अकाउंट सहित पूरी जानकारी कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करा दी थी कि उनके पास से जो स्टॉक 1997-98 से विद्यमान है एवं खरीद बिक्री हो रही है उसमें 65,500/- रुपये का माल बिल्कुल खराब एवं विक्रय योग्य नहीं रहा था एवं अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2013 को एक पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी को दिया गया था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के यह अवांछित टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया है "कि कर योग्य स्टॉक के नुकसान व मूल्यांकन की कोई विधिवत् सूचना विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है एवं किसी तकनीकी कंसलटेंट कम्पनी द्वारा वस्तु के नष्ट होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया है अतः साक्ष्यों के अभाव में उनके उत्तर को अस्वीकार कर किया जाता है", जो यह दर्शाता है कि कर निर्धारण अधिकारी




लगातार.....3

को कर निर्धारण के समय किसी भी तरह के लेखा ज्ञान का उपयोग नहीं किया है कि किसी भी व्यवहारी के व्यापार के दौरान कारणवश लाभ या हानि हो सकती है एवं किसी भी तरह माल की प्रकृति के अनुसार खराब होने की सम्भावना भी होती है जैसा कि इस प्रकरण में लाईम जैसी वस्तु अधिक समय गुजरने के साथ खराब हो सकती है परन्तु इस प्रश्न पर बिना विचार किये ही आदेश पारित किया गया है। यह टिप्पणी करना भी उचित होगा कि अपीलीय अधिकारी ने भी बिना किसी विचार के कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को हुबहु उद्धरित करने के बाद अपने अन्तिम पैरा में इसे यथावत रखा है जो अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर विचार नहीं करने का द्योतक है। इस तरह अपीलार्थी पर अविधिक रूप से आरोपित किया गया कर रुपये 7,663/-, सरचार्ज रुपये 1,149/- एवं धारा 65 के तहत शास्ति रुपये 17,624/- को अपास्त किया जाता है।

5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2004 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 04.09.2006 अपास्त किये जाते हैं।

6. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य